

राज्य साख योजना वर्ष 2009–2010

State Credit Plan 2009- 2010

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम – नगरीय प्रशासन एवं विकास

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित ।(यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components, if any.</p>	<p>स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.12.97 से प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाता है।</p> <p>The Swarna Jayanti Shahri Rojgar Yojna (SJSRY) is being sponsored by Central Govt of India from 01.12.97 to provide gainful employment for the urban poor, consisting of special scheme namely -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USEP (Urban Self Employment Programme) 2. UWEP (Urban Wage Employment Programme)
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है</p> <p>Whether it is a Government of India / State Government sponsored Scheme?</p>	<p>यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 75:25 निर्धारित किया गया है।</p> <p>Yes, the SGSRY is sponsored by the Govt. of India, which shall be funded on a 75:25 basis between the Central & State Govt.</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>राज्य शासन स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण उत्तरदायी नोडल विभाग है।</p> <p>Nodal Agency on State level for implementation of the scheme is (SUDA) State Urban Development Agency.</p>

4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त 18 जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण नोडल विभाग है। On district level the scheme be implemented by (DUDA) District Urban Development Agency.</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य Objective of the Scheme.</p>	<p>योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों/हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। योजनान्तर्गत हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से ऋण एवं शासन द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है तथा विभिन्न रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम में हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है, जिससे उनको शासन द्वारा शिष्यावृत्ति दी जाती है। योजना का उद्देश्य यह है कि शहरी गरीब हितग्राही अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर शहरी गरीबी रेखा से उपर उठकर जीवन यापन कर सके।</p> <p>The Yojana is only for those families & persons living under the below poverty line (BPL). Loan is provided by Nationalised Bank and subsidy by the Govt. to establish their self-employment. The training is also provided for which they get stipend so that the urban BPL family may establish their self-employment.</p>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/districts blocks where the /Scheme is under implementation.</p>	<p>यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों के नगरीय क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। Yes the scheme is being implemented in urban level bodies of all districts of the State</p>

7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ पुरुष/महिला आदि)</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST / Others/ Men/ Women, etc.)</p>	<p>योजनान्तर्गत शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ऐसे परिवार को सम्मिलित किया गया है । इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं विकलांग पुरुष एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है । हितग्राहियों के लिये यह आवश्यक है कि वह शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो, और नगरीय निकाय द्वारा शहरी गरीब परिवार के लिये किये गये सर्वे सूची में नाम होना आवश्यक है ।</p> <p>Under this scheme all the Beneficiaries are being selected for BPL survey list, which is being approved from District Collector as per procedure of survey.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</p>	<p>हितग्राहियों के लिये यह आवश्यक है कि वह शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो, और नगरीय निकाय द्वारा शहरी गरीब परिवार के लिये किये गये सर्वे सूची में नाम होना आवश्यक है ।</p> <p>Only those beneficiaries are eligible under scheme, whose name appears in BPL list.</p>
9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis or both.</p>	<p>योजनान्तर्गत शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता (ऋण+अनुदान) व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर दोनों ही स्तर पर दिये जाने का प्रावधान है । इसी तरह योजना के अन्य कार्यक्रम महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम में शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली कम से कम 10 महिलाओं के समूह को रोजगार के लिये आर्थिक सहायता (ऋण+अनुदान) देने का प्रावधान है ।</p> <p>Yes, both individual and group basis.</p>

<p>10</p>	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए) दर (प्रतिशत) न्यूनतम, अधिकतम</p> <p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate(%)</p> <p>Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution</p>	<p>योजनान्तर्गत शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम में अनुदान की राशि सभी वर्ग के हितग्राहियों को समान रूप से देने का प्रावधान है । इसमें अनुदान-परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक दिया जाता है । जो रूपये 7500/- से अधिक नहीं होना चाहिये ।</p> <p>In microenterprises (Self Employment Programme) the urban beneficiaries below poverty line (BPL) of all classes gets equal subsidy, against the unit cost maximum Rs 50,000/- will get the subsidy up to 15% of the project cost subject to limit of 7500/- only.</p>
<p>11</p>	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>योजनान्तर्गत हितग्राही को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) देने का प्रावधान है ।</p> <p>Yes under Self Employment (microenterprises) and skill development the Beneficiaries is required to contribute 5% of the project cost as margin money.</p>

12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित है</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलाना, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिये कार्य करना एवं पाच लाख से कम आबादी वाले नगरों में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के द्वारा लोगों को मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराना आदि आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत संचालित की जाती है।</p> <p>Under Swarna Jayanti Shahri Rojgar Yojna the following economic activities are done -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Self-Employment (microenterprises and Skill Development with training programme. 2. Urban Wage Employment Programme.
----	--	--

<p>13</p>	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so, please give details.</p>	<p>योजनान्तर्गत हितग्राही को शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई की अधिकतम लागत रूपये 50,000/- निर्धारित की गई है, जिसमें परियोजना लागत का 15 प्रतिशत जो रूपये 7500/- से अधिक नहीं होगा अनुदान दिया जायेगा उसमें 5 प्रतिशत सीमान्त राशि हितग्राहियों को लगाना आवश्यक है। शेष 80 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में बैंक द्वारा प्रदान की जायेगी।</p> <p>महिला एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम के तहत इकाई की अधिकतम लागत रूपये 2.50 लाख निर्धारित की गई है, जिसमें परियोजना लागत का 15 प्रतिशत जो रूपये 1.25 लाख से अधिक नहीं होगा अनुदान दिया जायेगा उसमें 50 प्रतिशत सीमान्त राशि हितग्राहियों को लगाना आवश्यक है। शेष 45 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में बैंक द्वारा प्रदान की जायेगी।</p> <p>Under the scheme in Self Employment (Micro Enterprises) the maximum unit cost is Rs 50,000/- in which 15% subsidy and 5% margin money to be paid by the Beneficiaries, the rest amount of 80% will be the Bank Loan.</p> <p>For DWCUA (Development of women & Children in Urban Area) project cost is fixed Rs. 2.50 lac, in which 15% subsidy and 50 % margin money by the beneficiaries rest 45% will be the bank Loan.</p>
<p>14</p>	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>योजनान्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम में हितग्राहियों को सार्वजनिक बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।</p> <p>Yes under the scheme the loan is being sanctioned by Bank.</p>

15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिए गए हैं ।</p> <p>Whether the project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में हितग्राहियों/समूहों को स्वरोजगार स्थापित कराने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी, लक्ष्य निर्धारित कर जिलों को सूचित किया जावेगा तथा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले हितग्राहियों की भलाई के लिए किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा आदि का कार्य जिला शहरी विकास अभिकरण स्तर पर किया जाता है क्योंकि वह जिला स्तर पर नोडल विभाग है।</p> <p>Yes for the year 2007-08 the target under the scheme will be fixed and delivered to the District Nodal Agency (Distt.Urban Development Agency) DUDA and collector for the implementation of the scheme as per target.</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details, if any.</p>	<p>---</p> <p>Nil.</p>